

1745  
सं०.....नेडा-ईएस-136/सूचना अधिकार/2005  
वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उ०प्र०  
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ  
दिनांक : 25 अगस्त 2006

### कार्यालय ज्ञाप

संस्थान के कार्यालय ज्ञाप सं० 2003 नेडा-ईएस-136/सूचना अधिकार/2005 दिनांक 22.10.2005 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुक्रम में संस्थान में जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं उनके नोडल अधिकारी की व्यवस्था आदेशित की गयी थी ।

अद्यतन रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में जन सूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने विषयक सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञाप सं० 1192/45-वि(नेडा)/2006-707/नेडा/2005 दिनांक 14.8.2006 के अनुरूप पूर्व में आदेशित व्यवस्था को अवकमित करते हुए निम्नवत संशोधित व्यवस्था एतद्वारा आदेशित की जाती है :

1. विभागाध्यक्ष स्तर पर अपीलीय अधिकारी, निदेशक, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उ०प्र० होंगे।
2. विभागाध्यक्ष स्तर पर जनसूचना अधिकारी, सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उ०प्र० होंगे।

उपरोक्तानुसार समस्त संबंधित अवगत होते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

(संजय भुसरेड्डी)  
निदेशक, नेडा ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जनपदीय परियोजना कार्यालयों में तैनात समस्त वरिष्ठ परियोजना अधिकारी ग्रेड-2/परियोजना अधिकारी/अवर अभियन्ता, नेडा को अनुपालनार्थ ।
2. परियोजना नियंत्रक अधिकारी, नेडा ।
3. समस्त अधिकारी, नेडा, मुख्यालय/शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चिनहट, लखनऊ ।
4. आशुलिपिक, सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, नेडा ।
5. वैयक्तिक सहायक, निदेशक, नेडा ।
6. अनुसचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
7. अनुसचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
8. नोटिस बोर्ड हेतु ।

(संजय भुसरेड्डी)  
निदेशक, नेडा ।